मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)
☎ (का.) 0755-2551805, फैक्स : 0755-2556065
ई-मेल : mphousing@email.com

परिपत्र क्रमांक–12/2018 दिनांक 10/08/2018

विषय :– पूंजीगत ब्याज एवं पर्यवेक्षण शुल्क में कमी करने के संबंध में ।

—

मण्डल के 242 वें सम्मिलन दिनांक 16.02.2018 में पद संख्या–13 पर पूंजीगत ब्याज एवं पर्यवेक्षण शुल्क में कमी करने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। विचार–विमर्श उपरांत संचालक मण्डल ने संकल्प क्र0–5111–13/242/02/2018 द्वारा मण्डल की योजनाओं पर संशोधित पर्यवेक्षण शुल्क की दरें एवं संशोधित पूंजीगत ब्याज की दरें कम करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए निर्णय में उल्लेखित 4 बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । उक्त निर्णय के परिपालन में आदेश क्र0–04 दिनांक 16.04.2018 द्वारा एक समिति का गठन किया गया । समिति को 4 बिन्दुओं का परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी ।

2. समिति द्वारा पूंजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं आकस्मिक शुल्क में कमी करने के संबंध में मण्डल के परिपत्र क्र0–32/15 दिनांक 16.04.2015 में संशोधन करने की अनुशंसा प्रस्तावित की गयी ।

3. समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पुनः मण्डल के 244 वें सम्मिलन दिनांक 13.07.2018 को पद संख्या–16 पर प्रस्तुत किया गया ।

4 संचालक मण्डल द्वारा सर्व सम्मति से **मण्डल के 244 वें सम्मिलन दिनांक 13.07.2018 की पद संख्या–16 में पारित संकल्प क्र0–5151–16/244/5/2018 द्वारा** पूंजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं आकस्मिक शुल्क में कमी करने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(I) पूंजीगत ब्याज (पूर्व निर्मित तथा अविक्रित सम्पत्ति हेतु) :–

सम्पत्ति का प्रकार	वर्तमान निर्माण कार्य पर लागू दर	वर्तमान में विकास कार्य पर लागू दर	निर्माण एवं विकास कार्य पर लागू दर
1.	2.	3.	4.
ईडब्ल्यूएस	12%	8%	6%
एलआईजी	12%	8%	6%
एमआईजी	13%	12%	8%
एचआईजी	13%	12%	8%
व्यवसायिक	14%	12%	12%
भूखण्ड(विकास कार्य)	–	14%	12%

(II) पर्यवेक्षण शुल्क (निर्माण कार्य पर) :–

सम्पत्ति का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित पर्यवेक्षण शुल्क	संशोधित पर्यवेक्षण शुल्क
1.	2.	3.
ईडब्ल्यूएस	8%	6%
एलआईजी	10%	8%
एमआईजी	18%	12%
एचआईजी	20%	12%
व्यवसायिक	20%	14%
भूखण्ड (विकास कार्य)	18%	14%

(III) आकस्मिक व्यय (निर्माण कार्य पर) :–

सम्पत्ति का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित पर्यवेक्षण शुल्क	संशोधित पर्यवेक्षण शुल्क
1.	2.	3.
ईडब्ल्यूएस	–	–
एलआईजी	–	–
एमआईजी	2%	1.5%
एचआईजी	2%	1.5%
व्यवसायिक	3%	2%
विकास कार्य	3%	2%

(IV) संशोधित पूंजीगत ब्याज की दरें पूर्व से निर्मित परन्तु अविक्रित सम्पत्ति पर भी लागू होंगी ।

(V) संशोधित पर्यवेक्षण शुल्क तथा आकस्मिक व्यय में कमी की दरें रेरा लागू होने के दिनांक 1.07.2017 के पश्चात् रेरा में पंजीकृत योजनाओं पर तथा ऐसी योजना जिनका अंतिम मूल्य निर्धारण नहीं हुआ है पर लागू होंगी, किन्तु जिन सम्पत्तियों के विक्रय अभिलेख का निष्पादन हो चुका है, उन सम्पत्तियों पर यह योजना लागू नहीं होगी ।

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त
म.प्र. गृह निर्माण एव अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल

पृ0क्रमांक– 1082/सं.प्र./मण्डल/2018 भोपाल, दिनांक 10/08/2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.अध्यक्ष/आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।

2. अपर आयुक्त(1/2), म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।

3. मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य प्रशासकीय अधिकारी/मुख्य सम्पदा अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।

4 सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/ जबलपुर/रीवा/उज्जैन।

5. उपायुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, वृत्त 1, 2, 3 एवं विद्युत भोपाल/तकनीकी, भोपाल/सी.जी.आर. सेल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर।

6. कार्यपालन यंत्री/सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 भोपाल/होशंगाबाद/ग्वालियर–1, 2/मुरैना/गुना/इन्दौर–1,2/धार/खण्डवा/उज्जैन/रतलाम/जबलपुर–1/2/कटनी/छिन्दवाडा/ छतरपुर/सागर/रीवा/सीधी/सतना/सिंगरौली।

7. सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर।

8. प्रभारी अधिकारी, (मण्डल सचिवालय) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल।

9. कम्प्यूटर शाखा, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल।

(श्रीमती सुनंदा पंचभाई)
मुख्य सम्पदा अधिकारी
म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल